संख्या : 54/2019/981/छप्पन-2019-93/2018

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 18 जून, 2019

विषय: जनपद प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला-2019 के दौरान तैनात किए गए राजकीय हेलीकॉप्टर के क्रू-मेम्बर के होटल अध्यासन के बिलों के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 80/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 03 मई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जनपद प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला-2019 के अवसर पर सम्पूर्ण मेला क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था, सर्वेक्षण तथा निगरानी हेतु उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रयागराज में कुम्भ मेला-2019 के आयोजन की अवधि दिनांक 14 जनवरी, 2019 से 05 मार्च, 2019 तक तैनात राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के क्रू-मेम्बर के अध्यासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गयी व्यवस्था के सापेक्ष प्राप्त बिल की धनराशि रु0 8,07,058/- (रुपया आठ लाख सात हजार अट्ठावन मात्र) के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला-2019 के अवसर पर सम्पूर्ण मेला क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था, सर्वेक्षण तथा निगरानी हेतु उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रयागराज में कुम्भ मेला-2019 के आयोजन की अवधि दिनांक 14 जनवरी, 2019 से 05 मार्च, 2019 तक तैनात राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के क्रू-मेम्बर के अध्यासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गयी व्यवस्था के सापेक्ष प्राप्त बिल की धनराशि रु0 8,07,058/- (रुपया आठ लाख सात हजार अट्ठावन मात्र) के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस -2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्याः 54/2019/981(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanade

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।